प्रेषक,

आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ एवं अध्यक्ष,
मण्डलीय समिति, अलीगढ़ मण्डल

सेवामें,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली!

पत्रांक– एस0टी0 / एन0ओ0सी0 / /2017–18 दिनांक 20/03/2018

विषयः– अलीगढ़ मण्डल में स्थित माध्यमिक विद्यालयों को सी0वी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बधता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्याः 1916 (1) / 15–07–2009–01(299) / 2007 दिनांक 14–07–2009 के अनुपालन में मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 20–03–2018 में लिये गये निर्णय के अनुसार डी0एल0पी0 पब्लिक स्कूल मुरसान सादाबाद रोड़ पटाखास चौराहा, मुरसान जिला हाथरस को सी0वी0एस0ई0 दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति पत्र में अंकित निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है–

प्रतिबन्ध–

1– विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2– विद्यालय की प्रबन्धसमिति में सम्बन्धित जिले का जिला विधालय निरीक्षक सदस्य होगा।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनके उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद / वेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं कि जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है । तथा विद्यालय की सम्बधता सेन्ट्रल बोर्ड औफ सैकेन्डरी एजुकेशन नई दिल्ली/ कौंसिल फॉर दी इन्डियन स्कूल सर्टिफिकिट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है। तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।

5– संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानो तथा अन्य भक्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगें।

6– कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की भॉति अनुमन्य सेवा निवृत का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

7– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।

D.L.P. Sr. Sec. School
Principal

DLP Sr. Sec. School
Manager

8– विद्यालय रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9– विद्यालय में अग्नि शमन यन्त्र स्थापित कर अग्नि शमन अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तूत करें। तथा विद्यालय की भूमि भवन यदि विद्यालय के नाम न हो तो विद्यालय के नाम करायें।
10– नेशनल ब्लिडिग कोड में प्राबधानित सुरक्षा मानकों को प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभियन्ता से प्राप्त कर लिया जाये।
11– उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के विना कोई परिवर्तन/ संशोधन परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है। कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है। अथवा पालन करने में किसी की प्रकार की चूक या शिथिलता वरती जाती है। तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(सुभाषचन्द्र शर्मा)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष
अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक
अलीगढ़

कार्यालय – मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़

पृष्ठाकन संख्याः एस0टी0/एन0ओ0सी0/8392-98/2017–18 दिनांक बही।
प्रतिलिपि – निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उ0प्र0 शासन, शिक्षा – 07 अनुभाग लखनऊ ।
2– मण्डलायुक्त अलीगढ़।
3– शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ0प्र0 18 पार्क रोड़ लखनऊ।
4– जिलाधिकारी हाथरस
5– जिला विद्यालय निरीक्षक हाथरस।
6– प्रबन्धक, सम्बन्धित विद्यालय।
7– गार्ड फाइल हेतु।

20/3/2018
जे0के0मलिक
सचिव/सदस्य एवं
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक
अलीगढ़

D.L.P. Sr. Sec. School
Principal

D.L.P. Sr. Sec. School
Manager